फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

बृजेश कुमार बनाम लो.सू.अधि. विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 11 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05.03.2025	प्रार्थी/अपीलान्ट बृजेश कुमार निवासी ग्राम एवं पंचायत भूतौली, वैर की अपील आर टी आई के तहत ऑनलाईन अपील संख्या 060649418969787 से **विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत मूल प्रार्थना पत्रों (आरटीआई मूल आवेदन पत्र) की फोटो प्रति संलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत समस्त दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक है। जो कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ संलग्न नहीं किये गये है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी **विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह अपील के साथ पूर्ण दस्तावेज संलग्न कर नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। अतः उक्तानुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	